

THE JHARKHAND GAZETTE

EXTRAORDINARY PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 414

RANCHI, TUESDAY 23RD AUGUST, 2022

1 BHADR, 1944 (S)

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

NOTIFICATION

23rd August, 2022

Notification No.- 3/2022 - State Tax(Rate)

S.O. No. 24, Dated 23rd August, 2022--In exercise of the powers conferred by sub-section (1), sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15, sub-section (1) of section 16 and section 148 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Government of Jharkhand, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of Jharkhand, in the Commercial Taxes Department, No. 11/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017, published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 41, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

- (A) in the Table, -
 - (I) against serial number 3, in column (3), -

- (a) items (iii), (iv), (v), (va), (vi) and (ix)and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;
- (b) against items (vii) and (x), for the entry in column (4), the entry "6" shall be substituted;
- (c) in item (xii), for the brackets and figures "(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)", the brackets and figures "(vii), (viii)," shall be substituted;
- (II) against serial number 7, in column (3), in item (i), the words "above one thousand rupees but" shall be omitted;
- (III) against serial number 8, in column (3), -

(a)after item (vi) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(3) (4)	
"(via) Transport of passengers, with or without accompanied belongings, by ropeways.	2.5	The credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to Explanation no. (iv)]";

(b) for item (vii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(vii) Passenger transport services other than (i), (ii), (iii), (iv), (iva), (v), (vi) and (via) above.		-";

(IV) against serial number 9,in column (3), -

(a)for item (iii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)

"(iii) Services of Goods Transport Agency (GTA)in relation to transportation of goods (including used house hold goods for personal use)supplied by a GTA where,-	2.5	The smallet of invest toy allowed and
(a) GTAdoes not exercise the option toitself pay GST on the services supplied by it;	2.5	The credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken. [Please refer to Explanation no. (iv)]
(b) GTA exercises the	2.5	(1)In respect of supplies on which
option to itself pay GST on services supplied by it.		GTA pays tax at the rate of 2.5%, GTA shall not take credit of input
	or	tax charged on goods and services used in supplying the
	6	service.[Please refer to Explanation no. (iv)]
		(2)The option by GTA to itself pay GSTon the services supplied by it during a Financial Year shall be exercised by making a declaration in Annexure V on or before the 15 th March of the preceding Financial Year:
		Provided that the option for the Financial Year 2022-2023 shall be exercised on or before the 16 th August, 2022:
		Provided further that invoice for supply of the service charging State tax at the rates as applicable to clause (b) may be issued during the period from the 18 th July, 2022 to 16 th August, 2022 before exercising the option for the financial year 2022-2023 but in such a case the supplier shall exercise the option to pay GST on its supplies on or before the 16 th

	August, 2022.";

(b)after item (vi) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(via) Transport of goods by ropeways.	2.5	The credit of input tax charged on goods used in supplying the service has not been taken. [Please refer to Explanation no. (iv)]";

(c) for item (vii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(vii) Goods transport services other than (i), (ii), (iii),(iv), (v), (vi) and (via) above.		-";

(V) against serial number 10,in column (3), -

(a) after item (i) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ia) Renting of goods carriage where the cost of fuel is included in the consideration charged from the service recipient.	6	-";

(b) in item (iii), after the brackets and figure "(i)", the brackets and figures ", (ia)" shall be inserted;

(VI) against serial number 11,in column (3),for items (i) and (ii) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(3)	(4)	(5)
"Supporting services in transport.	9	-";
Explanation: This entry does not include goods transport service involving Goods Transport Agency (GTA) service, which falls under Heading 9965.		

(VII) against serial number 15, in column (3), -

- (a)item (i)and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5) shall be omitted;
- (b) in item (vii), the brackets and figures "(i)," shall be omitted;

(VIII) against serial number 26,in column (3), in item (i), sub-items (e), (ea) and (h) shall be omitted;

(IX) after serial number 31 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"31A	Heading 9993	Services provided by a clinical establishment by way of providing room [other than Intensive Care Unit (ICU)/Critical Care Unit(CCU)/Intensive Cardiac Care Unit (ICCU)/Neo natal Intensive Care Unit (NICU)] having room charges exceeding Rs. 5000per day to a person receiving health care services.	2.5	The credit of input tax charged on goods and services used in supplying the service has not been taken [Please refer to Explanation no. (iv)]";

(X) against serial number 32, in column (3), -

(a) after item (i) and the corresponding entries relating thereto in columns (4) and (5), the following shall be inserted, namely: -

(3)	(4)	(5)
"(ia)Services by way of treatment or disposal of	6	-";
biomedical waste or the processes incidental		
thereto by a common bio-medical waste		

treatment facility to a clinical establishment.	

- (b) in item (ii), after the brackets and figures"(i)", the word, brackets and figure "and (ia)" shall be inserted;
- (B) in paragraph 4, relating to Explanation, after clause (xxxvi), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(xxxvii) 'print media' means, —

- (i) 'book' as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867), but does not include business directories, yellow pages and trade catalogues which are primarily meant for commercial purposes;
- (ii) 'newspaper' as defined in sub-section (1) of section 1 of the Press and Registration of Books Act, 1867 (25 of 1867);

(xxxviii)'clinicalestablishment' means, -

a hospital, nursing home, clinic, sanatorium or any other institution by, whatever name called, that offers services or facilities requiring diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India, or a place established as an independent entity or a part of an establishment to carry out diagnostic or investigative services of diseases;

(xxxix) 'health care services' means, -

any service by way of diagnosis or treatment or care for illness, injury, deformity, abnormality or pregnancy in any recognised system of medicines in India and includes services by way of transportation of the patient to and from a clinical establishment, but does not include hair transplant or cosmetic or plastic surgery, except when undertaken to restore or to reconstruct anatomy or functions of body affected due to congenital defects, developmental abnormalities, injury or trauma;

(xxxx) 'goods transport agency' means, -

any person who provides service in relation to transport of goods by road and issues consignment note, by whatever name called.";

(C) After Annexure IV, following annexure shall be inserted, namely: -

"Annexure V

FORM

Form for exercising the option by a Goods Transport Agency (GTA) for payment of GST on the GTA services supplied by him under forward charge before the commencement of any financial year to be submitted before the jurisdictional GST Authority.

ice No
I/We (name of Person), authorised representative of M/s
have taken registration/have applied for registration and do hereby undertake to pay GST or
the GTA services in relation to transportation of goods supplied by us during the financia
yearunder forward charge in accordance with section 9(1) of the JGST Act, 2017
and to comply with all the provisions of the JGST Act, 2017 as they apply to a person liable fo
paying the tax in relation to supply of any goods or services or both;
] 1 1

2. I understand that this option once exercised shall not be allowed to be changed within a period of one year from the date of exercising the option and will remain valid till the end of the financial year for which it is exercised.

Legal Name: -

GSTIN: -

PAN No.

Signature of Authorised representative:

Name of Authorised Signatory:

Full Address of GTA:

(Dated acknowledgment of jurisdictional GST Authority)

Note: The last date for exercising the above option for any financial year is the 15th March of the preceding financial year. The option for the financial year 2022-2023 can be exercised by 16th August, 2022.".

2. This notification shall be deemed to be effective from the 18th July, 2022.

[File. No. VaKar/GST/02/2020] By the order of the Governor of Jharkhand,

Aradhana Patnaik,

Secretary,
Commercial taxes Department

Note: - The principal notification no. 11/2017 - State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary, vide S.O. No. 41, dated the 29th June, 2017 and last amended vide Notification no. 22/2021- State Tax (Rate), dated the 4th March, 2022 published in the Gazette of Jharkhand vide S.O. No. 9, dated the 4th March, 2022.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं०. 3/2022- राज्य कर (दर)

एस. ओ. सं. 24, दिनांक 23 अगस्त, 2022—झारखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 9 की उप धारा (1), उप धारा (3) और उप धारा (4), धारा 11 की उप धारा (1), धारा 15 की उप धारा (5), धारा 16 की उप धारा (1) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, झारखण्ड सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, और जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, झारखण्ड सरकार, वाणिज्य—कर विभाग की अधिसूचना संख्या 11/2017— राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे जिसे एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:—

उक्त अधिसूचना में, -

- क. सारणी में,-
- (I) क्रम संख्या 3 के समक्ष, कॉलम (3) में, -
 - (क) मद (iii), (iv), (v), (va), (vi) और(ix) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;
 - (ख) मद (vii) और (x) के समक्ष, कॉलम (4) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि "6" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
 - (ग) मद (xii) में ,कोष्ठक और अंक "(iii), (iv), (v), (va), (vi), (vii), (viii), (ix)" के स्थान पर, कोष्ठक और अंक "(vii), (viii)," को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
- (II) क्रम संख्या 7 के समक्ष, मद (i) में, "एक हजार रुपए से अधिक लेकिन" शब्दों को निरिसत किया जाएगा;
- (iii) क्रम संख्या 8 के समक्ष, कॉलम (3) में, -
 - (क) मद (vi) और उससे संबंधित कॉलम (4), (5), की प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा,यथा:-

(4)	(5)
2.5	बशर्तें कि ऐसी सेवा की
	आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं
	पर भारित इनपुट टैक्स की
	क्रेडिट न ली गई हो।
	[कृपया देखें: स्पष्टीकरण
	संख्या (iv)]";
	(/

) ख (मद (vii) और उससे संबंधित कॉलम (4) और (5) में प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा ,यथा-:

(3)	(4)	(5)
" (vii) उपर्युक्त , (i) , (iv) , (iii) , (ii)	9	; "-

iv) क (vi) ,(v) ,(
और (via (से भिन्न	
यात्री परिवहन सेवाएं।	

(IV) क्रमांक 9के समक्ष , कॉलम (3) में,-

)क (मद (iii) और उससे संबंधित कॉलम , (4)और (5) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा ,यथा-:

(3)	(4)	(5)
(iii) "जीटीए द्वारा आपूर्ति किए गए माल (जिसमें व्यक्तिगत प्रयोग में आने वाले इस्तेमाल किए गए घरेलू सामान भी शामिल हैं) के परिवहन से संबंधित माल परिवहन एजेंसी की सेवाएं, जहां-		
) क (जीटीए अपने द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के भुगतान करने के विकल्प का प्रयोग नहीं करता है;	2.5	बशर्तें कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। टीकरणपष्स् :देखें कृपया]संख्या) iv)]
)ख (जीटीए अपने द्वारा आपूर्ति की जाने वाली सेवाओं पर जीएसटी के स्वयं भुगतान करने का	2.5	.1ऐसी आपूर्तियों के संबंध में जिसमें की जीटीए %2.5की दर से कर का भुगतान करता हो तो ऐसी आपूर्तियों पर जीटीए सेवा
विकल्प ^क न प्रयोग करता हो ।	या 6	की आपूर्ति में प्रयोग माल और सेवाओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट नहीं लेगा।] कृपया देखें: स्पष्टीकरण संख्या [(iv) .2 किसी वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा आपूर्ति की गई सेवाओं पर जीएसटी का स्वयं भुगतान करने का जीटीए के द्वारा लिए जाने वाले विकल्प का प्रयोग, उक्त वित्तीय वर्ष के तत्काल पहले 15 मार्च तक अनुबंध अनुलग्नक एमें घोषणा करके किया जाएगा : बशर्ते कि वित्तीय वर्ष -2022 2023के लिए इस विकल्प का प्रयोग 16अगस्त 2022 , को या उसके पहले करना होगा।

	बशर्ते और भी कि उपवाक्य)ख (
	पर लागू दर पर राज्य कर वाली
	सेवा की आपूर्ति के लिए इनवॉयस
	को वित्तीय वर्ष, -2022 2023 के
	लिए विकल्प देने के पहले-पहले
	18 जुलाई 2022 , से 16
	अगस्त 2022 ,की अवधि के
	दौरान जारी किया जा सकता है
	लेकिन ऐसे मामले में आपूर्तिकर्ता
	अपनी आपूर्ति पर जीएसटी के
	भुगतान के विकल्प का प्रयोग 16
	अगस्त 2022 ,को या उससे
	पहले ही करेगा ।";

) ख (मद (vi) और कॉलम (4) और (5) में और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात , निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा , यथा – :

(3)	(4)	(5)
) " via (रोपवे द्वारा माल का परिवहन।	2.5	बशर्तें कि ऐसी सेवा की आपूर्ति में प्रयुक्त वस्तुओं पर भारित इनपुट टैक्स की क्रेडिट न ली गई हो। यासंख् टीकरणपष्स् :देखें कृपया]) iv)]";

)ग (मद (vii) और कॉलम (4)और (5)में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा ,यथा-:

(3)	(4)	(5)
<pre>" (vii) उपरोक्त , (i) , (iv) , (iii) , (ii) (vi) , (v) और) via (से भिन्न माल परिवहन सेवाएं।</pre>	9	; "-

(∨) क्रम संख्या 10 के समक्ष ,कॉलम (3) में,-

) क (मद (i) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा , यथा -:

(3)	(4)	(5)
) "ia (माल परिवहन का किराया पर देने की सेवाएं जहां सेवा प्राप्तकर्ता से लिए गए प्रतिफल में ईंधन की लागत शामिल है।	6	;"-

)ख (मद (iii)में ,कोष्ठक और अंक "(i)"के पश्चात ,कोष्ठक और अंक i), "a "(i)"के प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(VI) क्रम संख्या 11के समक्ष ,कॉलम (3) में, मद (i) और (ii)के लिए और कॉलम (4) और (5)में उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा ,यथा-:

(3)	(4)	(5)
"परिवहन में समर्थनकारी सेवाएं।	9	"-;
स्पष्टीकरण :इस प्रविष्टि में वे माल परिवहन		
सेवा नहीं आती है जिनमें माल परिवहन एजेंसी		
(जीटीए) सेवा, जो शीर्षक 9965के अंतर्गत		
आती है, शामिल होती है।		

(VII) क्रमांक 15के समक्ष, कॉलम (3) में, -

) क (मद (i) और कॉलम (4)और (5)में तत्संबंधी प्रविष्टियों को निरसित किया जाएगा;

)ख (मद (vii) में ,कोष्ठक और प्रतीक ", (i)" को निरसित किया जाएगा; (VIII) क्रम संख्या 26 के समक्ष ,कॉलम (3) में,-मद (i)में, उप मद (i), (i) और)ज (को निरसित किया जाएगा;

(IX) क्रम संख्या 31 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

717167	1 1/1 91/17	. स्यापित विश्वा आङ्गा, वया		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
31 " A	शीर्षक	किसी नैदानिक स्थापन द्वारा कमरे	2.5	ऐसी सेवा की
	9993	[इंटेंसिव केयर यूनिट		आपूर्ति में प्रयुक्त
		(आईसीयू) / क्रिटिकल केयर यूनिट		वस्तुओं और
		(सीसीयू) / इंटेंसिव कार्डियक		सेवाओ पर भारित
		केयर यूनिट (आईसीसीयू)		इनपुट टैक्स की
		/नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट		क्रेडिट न ली गई
		(एनआईसीयू) से भिन्न] के रूप में		हो।
		प्रदानकी जाने वाली सेवाएं, जिसका		:देखें कृपया]
		शुल्क रु. 5000/- प्रति दिवस		टीकरणपष्स्
		से अधिक हो,ऐसे व्यक्ति को जिसे) यासंख् i ⊽)] ″;
		स्वास्थ्य देख रेख सेवाएं दी जा रही		
		हो ।		

(X) क्रम संख्या 32के समक्ष, कॉलम (3) में, -

) क (मद (i) और कॉलम (4) और (5) में उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अन्तः स्थापित किया जाएगा , यथा - :

(3)	(4)	(5)
")ia (किसी नैदानिक स्थापन को सामान्य जैव- चिकित्सा अपशिष्ट उपचार प्रसुविधा के प्रचालको	6	
द्वारा , जैव-चिकित्सियअपशिष्ट के उपचार या व्ययन के माध्यम से या उससे आनुषंगिक प्रक्रियाओं के माध्यम से उपलब्ध कराई गयी सेवाएं		-";

)ख (मद (ii) में ,कोष्ठक और अंक ")i("के पश्चात ,कोष्ठक और अंक "और)ia "(को अन्तःस्थापित किया जाएगा।

ख . स्पष्टीकरण से संबंधित पैराग्राफ 4में ,उपवाक्य (xxxvi)के पश्चात ,निम्नलिखित उपवाक्यों को अंत:स्थापित किया जाएगा ,यथा-:

' (xxxvii) "प्रिंट मीडिया 'से अभिप्राय है-,

(i) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867) 1867 ,का (25की धारा 1 की उप-धारा (1) में परिभाषित 'पुस्तक ,'किन्तु इसके अंतर्गत कारबार निदेशिकाएँ, पीत पृष्ठ और व्यापार कैटलॉग, जो मुख्यतःवाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए आशियत हैं, शामिल नहीं हैं;

(ii) प्रेस और पुस्तक रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1867) 1867 ,का (25की धारा 1 की उप-धारा (1) में यथापरिभाषित 'समाचार पत्र;'

'(xxxviii) नैदानिक प्रतिस्थापन 'सेकोई अस्पताल ,निर्संग होम ,िक्लिनिक ,सेनेटोरियम या कोई अन्य संस्था ,चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो ,अभिप्रेत है जो निदान या उपचार या रुग्णता, चोट , विरूपण, अप्रसमान्यता या गर्भावस्था के लिए अपेक्षित सेवाओं या सुविधाओं का भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धति में प्रस्ताव करता है या स्वतंत्र निकाय के रूप में स्थापित किसी स्थान पर या बीमारियों के निदान या जाँच के लिए सेवा प्रदान करने वाले किसी स्थापन के एक भाग के रूप में सेवा प्रदान करता है; ";

(xxxix) "स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं से "निदान या उपचार या रुग्णता की देखरेख, चोट, विरूपता, अप्रसामान्यताया गर्भावस्था के निदान या उपचार के लिए भारत में मान्यताप्राप्त चिकित्सा पद्धित अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी नैदानिक स्थापना को और उससे रोगियों के परिवहन के माध्यम से सेवाएं सम्मिलित हैं किन्तु इसके अंतर्गत केश प्रत्यारोपण या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक शल्यक्रिया सिवाय तब जब अनुवंशिक त्रुटियों, विकासात्मक अप्रसामान्यताओं, चोटया संघात के कारण प्रभावित शरीर के अंगो या शरीर के कृत्यों को बहाल करने या पुनर्निर्माण के लिए की जाती है, सम्मिलित नहीं है;

(xxxx) "माल परिवहन अभिकरण" से कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो सड़क द्वारा माल के परिवहन के संबंध में सेवा प्रदान करता है तथा पारेषण नोट जारी करता है, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो;

ग .अनुबंध । ∨ के पश्चात ,निम्नलिखित अनुबंध को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

अनुबंध : ∨ किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष प्रसुतुत किया जाना होगा।

"अनुबंध v

<u>फार्म</u>

किसी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अपने द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाओं पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए किसी माल परिवहन एजेंसी (जीटीए) के द्वारा विकल्प का प्रयोग करने हेतु फार्म, जिसे अधिकार क्षेत्र वाले जीएसटी प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है।

संदर्भ संख्या .-

4	\sim	•		
1	ر م	ाक	:	_

- 3. मैंने/हमने (व्यक्ति का नाम), मैसर्स का अधिकृत प्रतिनिधि, जीएस टी पंजीकरण करा लिया है/पंजीकरण के लिए आवेदन कर दिया है और मैं/हम, एतद्वारा, जेजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 9 (1) के अनुसार फारवर्ड चार्ज के अंतर्गत वित्तीय वर्ष के दौरान अपने द्वारा आपूर्त किए गए माल के परिवहन के संबंध में जीटीएटी सेवा पर जीएसटी के भुगतान करने का और जेजीएसटी अधिनियम, 2017 के सभी प्रावधानों का, जैसा कि वे किसी माल या सेवा या दोनों की आपूर्ति से संबंधित कर के भुगतान के लिए दायी किसी व्यक्ति पर लागू होते हों, का अनुपालन करने का वचन देता हुँ/देती हुँ/देते हैं;
- 4. मैं इस बात को समझता हूं कि एक बार इस विकल्प का प्रयोग कर लिए जाने पर इस विकल्प के प्रयोग की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर इसको बदलने की अनुमति नहीं होगी और यह जिस वित्तीय वर्ष के लिए प्रयोग किया जाएगा उसके अंत तक वैध रहेगा।

विधिक नाम: जीएसटीआईएन: पैन नं..
प्राधिकृत प्रतिनिधि का हस्ताक्षर:
प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम:
जीटीए का पूरा पता:

(अधिकार क्षेत्र वाले जीटीए प्राधिकारी का दिनांक सहित स्वीकृति पत्र)

नोट: किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए उपरोक्त विकल्प का प्रयोग करने की अंतिम तिथि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 15 मार्च है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 के विकल्प का प्रयोग 15 अगस्त, 2022 तक किया जा सकता है।".

2. यह अधिसूचना 18 जुलाई, 2022 से लागू मानी जाएगी।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी०/02/2020] झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

आराधना पटनायक, सचिव, वाणिज्य-कर विभाग ।

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 11/2017 - राज्य कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, को एस. ओ. सं. 41, दिनांक 29 जून, 2017 के तहत झारखण्ड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 22/2021 - राज्य कर (दर), दिनांक 4 मार्च, 2022, जिसे एस. ओ. सं.9, दिनांक 4 मार्च, 2022 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।
